बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक–मु0अ0–4 (मु0) विविध कार्य– 23–176 / 2018 4235 पटना, दिनांक– 18/9/18

प्रेषक,

सचिव
ग्रामीण कार्य विभाग

सेवा में,

सभी कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।

विषयः– **ग्रामीण टोला सम्पर्क निश्चय योजना में कथित ढंग से छूटे हुए टोलों / बसावटों के संबंध में भ्रामक तथा बिना जाँच पड़ताल के प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध मे।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में आप अवगत हैं कि राज्य सरकार ने उपग्रह आधारित सर्वेक्षण के आधार 4643 उप–बसावटों की पहचान कर मात्र उन बसावटों के लिए **ग्रामीण टोला सम्पर्क निश्चय योजना** राज्य के सात निश्चय कार्यक्रम के तहत लागू की है। सर्वेक्षण के क्रम में माननीय विधायकों द्वारा कई टोलों / बसावटों के छूटे होने के परिवाद दिये गये। राज्य स्तरीय बैठकों के बाद एक निश्चित समय–सीमा तक ऐसे सभी परिवादों को प्राप्त कर उनकी जाँच करायी गयी और जाँच के क्रम में 250 या उससे अधिक आबादी वाले ऐसे बसावट / टोले, जो सचमुच सम्पर्कता विहिन पाये गये और जिन्हें राज्य के किसी अन्य योजना से सम्पर्कता नहीं दी जानी है, को पूरक राज्य कोर नेटवर्क में शामिल करते हुए **मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क निश्चय योजना** के दायरे में लाया गया।

अभी तक बड़ी संख्या में ऐसे कथित छूटे हुए टोलों / बसावटों के संबंध में न केवल कई माननीय विधायकों से सूचियाँ प्राप्त हो रही हैं, बल्कि कई कार्य प्रमंडल द्वारा बिना जाँच पड़ताल के और बिना एकल सम्पर्कता की मूल संकल्पना की समझ के भ्रामक एवं गलत प्रतिवेदन समर्पित किये जा रहे हैं। राज्य योजना के क्रम में भेजे गए जाँच प्रतिवेदनों में भी यही दृष्टिगोचर हो रहा है और बिना किसी जिम्मेवारी के बसावटों को सम्पर्कता विहिन बताया जा रहा है।

7. प्रतिवेदन कनीय अभियंता, सहायक अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए।

इसके बाद ही प्रपत्र 1 या 2 में आवश्यकतानुसार प्रतिवेदन समर्पित किया जाए।

माननीय विधायकों को वस्तुस्थिति और सरकार की योजनाओं एवं एकल संपर्कता की रणनीति से अवगत कराने के व्यक्तिगत जिम्मेवारी कार्यपालक अभियंता का है और उनके इस दायित्व के सही ढंग से निर्वहन नहीं करने के कारण सरकार के समक्ष विषम एवं अप्रिय स्थिति उत्पन्न होती है। भविष्य में यदि आपके द्वारा इस प्रकार के प्रतिवेदन बिना जाँच पड़ताल और विभागीय योजना/रणनीति के प्रतिकूल भेजा जाएगा तो आपके विरुद्ध गंभीर कठोर कार्रवाई की जाएगी।

ऐसे मामलों में अंतिम तिथि 30.09.2018 निर्धारित की जाती है। इस मामले में निर्धारित तिथि तक ही सभी शेष प्रतिवेदन समर्पित किए जाएं।

विश्वासभंजन

17/9/18

(विनय कुमार)
सचिव

ज्ञापांक– मु0अ0–4 (मु0) विविध कार्य– 23–176/2018 4235 पटना, दि0 18/9/18

प्रतिलिपि : सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग को अनुपालनार्थ प्रेषित।

17/9/18
सचिव

ज्ञापांक– मु0अ0–4 (मु0) विविध कार्य– 23–176/2018 4235 पटना, दि0 18/9/18

प्रतिलिपि : आई0टी0 नोडल, ग्रामीण कार्य विभाग को संबंधित बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

17/9/18
सचिव

प्रपत्र–1											
परिवाद पत्र में अंकित पथ के नाम के अुनसार छूटे टोलों का जाँच प्रतिवेदन											
क्रमांक	माननीय सदस्य का नाम	जिला	प्रखंड	पथ का नाम	पथ से संपर्कता प्राप्त होने वाले टोलों का नाम	स्तंभ 6 के टोलों की वर्तमान में संपर्कता की स्थिति C/UC/P C-Connected UC-Unconnected P-Proposed	यदि UC तो Population	यदि UC है तो समीपवर्त्ती पथ का नाम जिससे उसे सम्पर्कता दी जाएगी	प्रस्तावित पथ का नाम	प्रस्तावित पथ की अनुमानित लंबाई	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

प्रमाणित किया जाता है कि:–

(i) प्रस्तावित पथ के निर्माण होने से उक्त टोले को एकल सम्पर्कता प्राप्त होगी।

(ii) प्रस्तावित पथ टोले/बसावट का आंतरिक पथ नहीं है।

कनीय अभियंता

सहायक अभियंता

कार्यपालक अभियंता

प्रपत्र–2										
सूचित किये गये छूटे टोलों का जाँच प्रतिवेदन										
क्रमांक	माननीय सदस्य का नाम	जिला	प्रखंड	टोला का नाम	संपर्कता की स्थिति C/UC/P C-Connected UC-Unconnected P-Proposed	यदि UC तो Population	यदि UC है तो समीपवर्त्ती पथ का नाम जिससे उसे सम्पर्कता दी जाएगी	प्रस्तावित पथ का नाम	प्रस्तावित पथ की अनुमानित लंबाई	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

प्रमाणित किया जाता है कि:–

(i) प्रस्तावित पथ के निर्माण होने से उक्त टोले को एकल सम्पर्कता प्राप्त होगी।

(ii) प्रस्तावित पथ टोले/बसावट का आंतरिक पथ नहीं है।

कनीय अभियंता　　सहायक अभियंता　　कार्यपालक अभियंता